"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 मार्च 2011—फाल्गुन 19, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-8/2004/1/5.—राज्य शासन, "पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार नियम, 2004" में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है :—

उक्त नियमों में :

(1) नियम 4 की वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए :—

"परन्तु किसी भी सदस्य का नामांकन निर्णायक मंडल में लगातार दो वर्षों से अधिक नहीं किया जा सकेगा."

(2) नियम 6.2 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :—

"प्रविष्टि संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जावेगी. कलेक्टर प्राप्त प्रविष्टि में उल्लेखित तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच कर निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अनुशंसा सहित प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करेंगे."

2. उक्त संशोधन इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-8/2004/1/5.—राज्य शासन, "यतियतन लाल पुरस्कार नियम, 2004" में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है :—

उक्त नियमों में :

(1) नियम 4 की वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए :—

"परन्तु किसी भी सदस्य का नामांकन निर्णायक मंडल में लगातार दो वर्षों से अधिक नहीं किया जा सकेगा, इसमें "छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग" के अध्यक्ष अथवा सदस्यों में से कम से कम 1 व्यक्ति को अनिवार्य रूप से नामांकित किया जावेगा."

(2) नियम 6.2 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :—

"प्रविष्टि संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जावेगी. कलेक्टर प्राप्त प्रविष्टि में उल्लेखित तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच कर निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अनुशंसा सहित प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करेंगे."

2. उक्त संशोधन इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-8/2004/1/5.—राज्य शासन, "महाराजा अग्रसेन सम्मान नियम, 2004" में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है :—

उक्त नियमों में :

(1) नियम 4 की वर्तमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए :—

"परन्तु किसी भी सदस्य का नामांकन निर्णायक मंडल में लगातार दो वर्षों से अधिक नहीं किया जा सकेगा."

(2) नियम 6.2 के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :—

"प्रविष्टि संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जावेगी. कलेक्टर प्राप्त प्रविष्टि में उल्लेखित तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच कर निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अनुशंसा सहित प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करेंगे."

"परन्तु राज्य के बाहर के आवेदक सीधे प्रमुख सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को अपनी प्रविष्टि प्रेषित करेंगे."

2. उक्त संशोधन इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.